रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 30 जून, 1984/9 आषाढ़, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(बी अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जून, 1984

संख्या जी० ए० बी-8 (एच०) 4-1/84.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः धर्मशाला तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में डाकतार विभाग द्वारा अधीक्षक डाकतार कार्यालय भवन एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के आवास निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया ह, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

1282-राजपत्र/84-30-6-84—1,107.

मूल्य : 20 पैसे ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ-25(3) 57/जे-II, दिनांक 20-2-1957 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कार्य करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को इस क्षेत्र की किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, (सब-डिविजनल आफिसर, सिविल) कांगड़ा, जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील : कांगड़ा

ग्राम/कसबा	खसरा नं0	क्षेत्रफल वर्ग मीटरों में
1	2	3
धर्मशाला	1906	1136.93
	1907	127.12
	1909	370.70
	1910	117.48
	1911	180.00
	1912	4.00
	1913	42.02
	1914	20.30
	1916	167.50
	1947	234.38
	1954	676.01
	1957	379.99
	1958	183.35
	1959	103.50
	1960	87.00
	1961	698.37
	1999	11.50
	2000	33.62
	1963	67.37
	1918	105.78
	1908	27.00
	1915	271.50
	1955	103.50

1	2	3
	1956	122.81
	1962	95.80
	1944	2.37
	1946	362.55
	1948	48.73
	1040	60.37
	1941	4.00
	1942/1	36.00
	1943/1	36.50
	1942	35.78
	1943	74.20
	1937	47.25
	1938	70.88
	1945	4.00
	1939	11.00
किता ..	38	6231.53

आदेश द्वारा,
के0 सी0 वाण्डेय,
मुख्य सचिव।

[*Authoritative English text of Himachal Pradesh Government Adhisuchna No. GAB-8(H)4-1/84, dated* 14-6-84 *as required under Article* 348(3) *of the Constitution of India*].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-SECTION

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 14*th June*, 1984

No. GAB-8(H)-41/84.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that land is required to be taken by the Central Government, at its own expense for public purpose, namely for the construction of the office of Superintendent of Post Offices, Dharamshala and some residential quarters (Residential Unit) at Dharamshala, District Kangra (H.P.) by the Post and Telegraphs Department, it is hereby notified that land in the locality specified below is likely to be acquired for the above purpose.

2. This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, and in pursuance of powers, delegated by the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F.25(3)57/J-II, dated the 20th February, 1957 to all whom it may concern.

3. In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

4. Any person interested, who has any objection to the acquisition of the said land in the locality, may within thirty days of the publication of this notification in Rajpatra (Extra ordinary) Himachal Pradesh, file objections in writing before the Collector, Land Acquisition [Sub-Divisional Officer (Civil)], Kangra at Dharamshala, District Kangra (H. P.).

SPECIFICATION

District: KANGRA *Tehsil:* KANGRA

Village/Town	Khasra No.	Area in Sq. meters
DHARAMSHALA	1906	1136.93
	1907	127.12
	1909	370.77
	1910	117.48
	1911	180.00
	1912	4.00
	1913	42.00
	1914	20.30
	1916	167.50
	1947	234.38
	1954	676.01
	1957	379.99
	1958	183.35
	1959	103.50
	1960	87.00
	1961	698.37
	1999	11.50
	2000	33.62
	1963	67.37
	1918	105.78
	1908	27.00
	1915	271.50
	1955	103.50
	1956	122.81
	1962	95.80
	1944	72.37
	1946	362.55
	1948	48.73
	1940	60.37
	1941	4.00
	1942/1	36.00
	1943/1	36.50
	1942	35.78
	1943	74.20
	1937	47.25
	1938	70.88
	1945	4.00
	1939	11.00
Kitta ..	38	6231.53

By order,
K. C. PANDEYA,
Chief Secretary.

राजस्व (डी) विभाग

परिशिष्ट

शिमला-2, 6 जून, 1984

संख्या रेव0-डी0 (एफ0) 4-6/84 एम0 एन0 जी0.—जिला मण्डी में पटवार तथा कानूनगो वृतों के पुनर्गठन करने विषयक जारी सम-संख्यक अधिसूचना दिनांक 26 सितम्बर, 1983 में कुछ उप-तहसील तथा कानूनगो सर्कल जो नियत जगह पर दर्शाने से रह गए थे को उपरोक्त अधिसूचना में निम्न प्रकार से सम्मिलित/अधिसूचित समझा जाए :—

1. स्पैंड पटवार सर्कल नं0 (27) के सम्मुख कालम 3 के नीचे कानूनगो क्षेत्र जोगिन्द्रनगर लिखा/समझा जाए।
2. चच्योट पटवार सर्कल नं0 (10) के सम्मुख कालम 3 के नीचे चच्योट कानूनगो सर्कल लिखा/समझा जाए।
3. उप-तहसील बाली चौकी के पटवार सर्कल खोलानाल (1) के सम्मुख कालम 2 के नीचे केवल बाली चौकी दर्शाया गया है। बाली चौकी से पहले उप-तहसील लिखा/समझा जाए।

आदेशकर्ता,
अत्तर सिंह,
वित्तायुक्त।

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th June, 1984

No. 1-6/76 TPT.—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Motor Vehicles Act, 1939 (IV of 1939) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to appoint Shri Thakur Singh M.L.A., Village Sanchuni Post Office and Tehsil, Bharmaur, District Chamba, H. P. and Shri Adarsh Kumar c/o m/s. Ramji Dass Dina Nath, Lower Bazar, Shimla, as non-official members of the State Transport Authority, Himachal Pradesh, constituted *vide* this department notification of even number, dated 18-8-1983.

HARSH GUPTA,
Commissioner-cum-*Secretary*

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 21 जून, 1984

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0 (5)-32/81.—क्योंकि श्री जानभ्यो राम, प्रधान ग्राम पंचायत गियाडवाला, विरुद्ध निम्नलिखित आरोप हैं:—

1. 9-7-80 से 31-8-82 तक जिलाधीश, लाहौल-स्पिति के आदेश संख्या 1935 दिनांक 16-5-83 में अंकित सभा विधि का नकद शेष अपने पास रख कर उसका दुरुपयोग किया है।

2. डाकखाना कोट से 9-6-80 को मु0 6177-00 रु0 निकाला तथा दिनांक 12-7-80 तक कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया ।

3. अपने पुत्र श्री वीर सिंह को दिनांक 28-11-81 को चादरें खरीदने के लिए मु0 10,000/- रु0 पेशगी दिया है । रोकड़ में 28-11-82 के ऊपर ही 12-10-82 की तारीख पड़ी है लेकिन कैश बुक में 28-11-82 से पहले चादरें खरीदने के लिए कोई पेशगी नहीं दी है । इस राशि से चादरें 11-7-83 को खरीदा गई । इस प्रकार मु0 10,000/- रु0 28-11-82 से 11-7-83 तक उसके पुत्र श्री वीर सिंह के पास पड़ा रहा ।

4. रोकड़ के अवलोकन से पाया गया कि वह अभी भी पंचायत का पैसा अपने पास रखता है । अभी तक 31-8 83 के बाद जो पैसा उसके पास है, उसके बारे में कैश बुक में हस्ताक्षर नहीं । 30-11-83 को कैश बुक के अनुसार 15,564.85 रुपये उसके पास हो । क्योंकि उक्त प्रधान के विरुद्ध आरोपों में वास्तविकता जानने के लिए नियमित जांच करवानी आवश्यक है ।

अत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री जानभ्यो राम के विरुद्ध आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(डी) के अन्तर्गत नियमित जांच करने हेतु केलांग को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं । वह अपनी रिपोर्ट जिला अधीश ऊना को अपनी टिप्पणियों सहित एक मास तक इस निदेशालय को भेजें ।

हस्ताक्षरित,
अवर सचिव (पंचायत) ।

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 जून, 1984

संख्या 1-2/72-एल0 एस0 जी0.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 198 (ध) और धारा 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका समिति धर्मशाला, जिला कांगड़ा द्वारा बनाई गई निम्नलिखित उप-विधियों को, जिनकी उक्त अधिनियम की धारा 215 के अधीन यथा अपेक्षित राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा पुष्टि कर दी गई है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और ये राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नगरपालिका समिति धर्मशाला के क्षेत्र में प्रवृत होगी ।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 की धारा 198(ध) और धारा 213 के अधीन कुत्तों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उप-विधियां ।

1. कोई भी व्यक्ति आठ सप्ताह से अधिक आयु वाले कुत्तों को नगरपालिका की सीमा के भीतर चौदह दिन से अधिक की अवधि तक तब तक नहीं रखेगा जब तक वह नगरपालिका के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत न हो ।

2. (क) कोई व्यक्ति जो किसी कुत्ते को रजिस्ट्रीकृत करना चाहता है ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के विहित प्ररूप मजो नगरपालिका समिति के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है, आवेदन करेगा ।

(ख) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ 5.00 रुपये की फीस होगी ।

(ग) रजिस्ट्रीकरण पहली अप्रैल से अगामी वर्ष के 31 मार्च तक केवल एक वर्ष के लिए प्रवृत रहेगा । कोई भी व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण को एक वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत करना चाहता है उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) में उपबन्धित के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकता है ।

(घ) नगरपालिका सचिव उस प्रत्येक कुत्ते को रजिस्ट्रीकृत करेगा या रजिस्ट्रीकृत करवायेगा जिसके सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन विहित फीस सहित प्राप्त हुआ है और आवेदक को कुत्ते के रजिस्ट्रीकरण के प्रतीक स्वरूप धातु का एक बैज उसके लिए दो रुपये प्राप्त करन पर जारी करेगा ।

(ङ) यदि उप-विधियों के खण्ड (घ) के अधीन जारी किया गया बैज खो जाता है तो उस कुत्ते का स्वामी या रखवाला, जिसके सम्बन्ध में बैज जारी किया गया था, दूसरे बैज के लिए आवेदन कर सकता है और समिति का सचिव दूसरा बैज, उसके लिए दो रुपये प्राप्त करने पर जारी करेगा ।

3. रजिस्ट्रीकृत कुत्ते का प्रत्येक स्वामी या रखवाला कुत्ते को एक पट्टा पहनाएगा जिसमें उप-विधियों के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ.) के अधीन जारी किया गया धातु का बैज कुत्ते के रजिस्ट्रीकृत होने के प्रतीक स्वरूप लगाया जाएगा ।

4. कोई भी रजिस्ट्रीकृत कुत्ता जो ऐसा बैज लगा पट्टा पहने बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पाया जाएगा इस प्रयोजन के लिए निश्चित किए गए स्थान पर निरूद्ध किया जायेगा और पकड़े जाने से एक सप्ताह की अवधि के अवसान पर, जब तक कि प्रश्नगत कुत्ते का स्वामी या रखवाला उस अवधि के अवसान से पूर्व उसका दावा नहीं करता है और उस अवधि के लिए जिसमें कुते को निरूद्धा किया गया है प्रतिदिन के लिए और आठ घण्टे से अन्यून के उसके भाग के लिए पच्चीस पैसे की फीस की अदायगी नहीं कर देता है । प्रधान के आदेशानुसार नष्ट किए जाने का या अन्यथा व्ययन किए जाने का भागी होगा ।

5. कोई भी व्यक्ति जो इन उप-विधियों को भंग करेगा मैजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्धि पर जुर्माने से जो पचास रुपये तक का हो सकेगा और दण्डनीय होगा और जब भंग हो ता अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम दिन के पश्चात एसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान भंग निरंतर जारी रहता है, पांच रुपये तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

आदेशानुसार,
सी० पी० सुजाया,
सचिव ।

[*Authoritative English text of Notification No.* 1-2/72-*LSG, dated* 18-6-84 *is hereby published under Article* 348 (3) *of the Constitution of India for in formation*].

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 18*th June*, 1984

No. 1-2/72-LSG.—The following Bye-Laws made by the Municipal Committee Dharamshala, District Kangra in exercise of the powers conferred by section 198(s) and 213 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 (Act No. 19 of 1968) having been confirmed by the Governor, Himachal Pradesh, as required under section 215 of the aforesaid Act are

hereby published for general information and shall come into force within the area of the Municipal Committee, Dharamshala from the date of publication of this notification in the Rajpatra Himachal Pradesh.

BY-LAWS FOR THE REGISTRATION OF DOGS UNDER SECTION 198(s) AND 213 OF THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL ACT, 1968

1. No person shall keep a dog more than 8 weeks of age within municipal limits for more than 14 days unless it is registered at the Municipal Office.

2. (*a*) Any person who wishes to register a dog shall apply for such registration on the prescribed form of application which may be obtained free of charge at the office of the Municipal Committee.

(*b*) Every application for registration shall be accompanied by a fee of Rs. 5.

(*c*) A registration shall remain in force for one year only from 1st April to 31st March next year. Any person who whishes to renew the registration for further period of one year shall apply for registration in the manner provided in clauses (*a*) and (*b*) above.

(*d*) The Secretary of the Committee shall register or cause to be registered every dog in respect of which an application for registration is received together which the prescrived fee and shall issue to the applicant a metal badge in token of the dog having been registered on receipt of Rs. 2 in payment thereof.

(*e*) If any badge issued under clause (*d*) of these Bye-Laws is lost, the owner or keeper of the dog in respect of which the badge was issued, may apply for another badge, and the Secretary of the Committee shall issue another badge on receipt of Rs. 2 in payment thereof.

3. Every owner or keeper of a registered dog shall cause such dog to wear a collar to which there shall be attached the metal badge issued under clause (*d*) or clause (*e*) of the Bye-laws in token of the dog having been registered.

4. Any registered dog found in any public place not wearing collar with such badge shall be detained at a place to be set apart of for the purpose, and shall be liable to be destroyed or to be disposed of otherwise under the orders of the President after the expiry of the period of one week from the date of its capture, unless the owner or keeper of the dog in question before the expiry such period shall have claimed it and shall have paid fee of twenty-five paise for every day or part thereof not being less than eight hours during which it has been detained.

5. Any person who commits a breach of these Bye-laws shall on conviction by a Magistrate be punishable with the fine which may extend to Rs. 50 and when the breach is a continuing one, with a further fine which may extend to Rs. 5 for every day after the first during which the breach continues.

By order,

C. P. SUJAYA,
Secretary.

HOME (B) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th June, 1984

No. 1-22/71-Home (B)-Judl. III.—In exercise of the powers vested in him under the provisions of Article 233(1) of the Constitution of India and in consultation with the High Court of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the appointment of the following members of the Himachal Pradesh Judicial Service to the Himachal Pradesh Higher Judicial Service purely on *ad hoc* basis with effect from the date(s) the officers assume charge of the post to which they may be posted by the High Court:—

(1) Shri Surjit Singh, at present Senior Sub-Judge-*cum*-Chief Judicial Magistrate, Shimla.

(2) Shri Janeshwar Goel, at present Senior Sub-Judge-*cum*-Chief Judicial Magistrate, Bilaspur.

2. The *ad hoc* appointments of the above-mentioned officers will not entitle them to claim any right, including seniority, pursuant to such appointments and they will be liable to be reverted at any time.

A. N. VIDYARTHI,
Secretary.

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, SIRMAUR DISTRICT, NAHAN

NOTIFICATION

Nahan, the 21st June, 1984

No. CS-34-690/77-IV-3588.—In continuation of this office notifications circulated *vide* endorsement No. CS-34-690/77-IV-2421-92, dated 3-5-1984 and even number 2493-2564, dated 3-5-1984 and in exercise of the powers conferred upon me under clause 3(1) (*e*) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, R. N. Bansal, District Magistrate, Sirmaur district, Nahan (Himachal Pradesh), do hereby order that the margin of profit and rates so fixed *vide* Notifications referred to above shall continue to remain in force, for a further period of two months from 19-6-1984.

R. N. BANSAL,
District Magistrate,
Sirmaur district, Nahan.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।